



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 2006/चैत्र 17, 1928

No. 56]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 2006/CHAITRA 17, 1928

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड

आदेश

मुम्बई, 8 मार्च, 2006

आई सी आई सी आई/धारा 10.—यतः, आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आई सी आई सी आई" कहा गया है) नौवहन विकास निधि समिति (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 16 के अंतर्गत भारत का "अभिहित व्यक्ति" है;

और, यतः, आई सी आई सी आई को अभिहित व्यक्ति के रूप में उक्त अधिनियम के अध्याय III के अनुबंधों के अधीन विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उसने प्रयोग करने का निर्णय लिया है;

और, यतः, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी मर्यादित (जिसे इसके बाद "उक्त कम्पनी" कहा गया है) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक मर्यादित कम्पनी और जिसका पंजीकृत कार्यालय सिंधिया कॉलोनी, सर एम.वी. रोड, अन्धेरी (ई), मुम्बई-400069 है, का निदेशक बोर्ड आई सी आई सी आई, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियुक्त निदेशकों से संगठित है और यतः उक्त निदेशक बोर्ड पर श्री मकरध्वज साहू को निदेशक नियुक्त करने का निर्णय किया जाता है। अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों का अनुकरण करते हुए, परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है एवं घोषणा की जाती है कि :

1. श्री. मकरध्वज साहू को उक्त निदेशक बोर्ड पर श्रीमती मागरिट गांगटे के स्थान पर निदेशक नियुक्त किया जाता है।

कोई अन्य सूचना जारी होने तक उक्त निदेशक बोर्ड के बाकी निदेशक अपने पद पर यथावत् कार्यकारी रहेंगे।

यह आदेश मार्च 8, 2006 से प्रभावी हो जाएगा।

आदेश से,

एस डी एफ सी (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत
आई सी आई सी आई बैंक के लिए
केंद्रीय सरकार नियुक्ता

डी. ए. बिवलकर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

[विज्ञापन III/IV/155/2005/असा.]

ICICI BANK LIMITED

ORDER

Mumbai, the 8th March, 2006

ICICI/SEC 10.—Whereas ICICI Bank Limited (hereinafter referred to as "ICICI" is the "Designated Person" of the Central Government within the meaning of Section 16 of the SDFC (Abolition) Act, 1986. (hereinafter referred to as "the said Act");

And whereas, the Board of Directors (hereinafter referred to as "the said Board") of the Scindia Steam Navigation Company Limited (hereinafter referred to as "the said Company"), a public company within the meaning of the Companies Act, 1956 and having its registered Office at Scindia Colony, Sir M.V. Road, Andheri (E), Mumbai 400069, is constituted of Directors who have been appointed by ICICI/Central Government in terms of Section 10 of the said Act;

And whereas, it has been decided to appoint Shri Makaradhvaj Sahu as the Director in place of Smt. Margaret Gangte.

Now, therefore, in order to give effect to the aforesaid change, in pursuance of the provisions of Section 10 of the said Act, it is hereby ordered and declared that :

1. Shri Makaradhvaj Sahu be and is hereby appointed as the Director of the company in place of Smt. Margaret Gangte.

All other remaining directors will continue in office unless notified otherwise.

This Order shall come into force with effect from March 08, 2006.

By Order,

For ICICI Bank Limited

[As designated person of the Central Government under the SDFC (Abolition) Act, 1986]

D.A. BIWALKAR, Authorised Signatory

[ADV. T. III/IV/155/2005/Exty.]